

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पीठ संशो0/1279/2024, लखनऊ दिनांक-29.10. 2024

संशोधित आदेश

न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ -1, लखनऊ ने पत्र संख्या स0वा0क0अधि0/789/2024 दिनांक 28.10.2024 द्वारा अवगत कराया है कि व्यक्तिगत कारणों से खण्ड पीठ अवधि में अवकाश पर रहेंगे।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में, मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेश सं0 1250./2024 दिनांक 14.10. 2024 द्वारा लखनऊ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 04.11.2024 से 08.11.2024 तक पूर्व गठित युगल पीठ न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ प्रथम, लखनऊ के स्थान पर अधोहस्ताक्षरी स्वयं प्रतिभाग करेंगे। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-29.10.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक ::यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।